

**संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय**

**मांग संख्या 15**

**सूचना प्रौद्योगिकी विभाग**

क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:

(करोड़ रुपए)

मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2010-2011			बजट 2011-2012			संशोधित 2011-2012			बजट 2012-2013			
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
राजस्व	2856.18	101.27	2957.45	2822.60	48.61	2871.21	2093.10	48.60	2141.70	2826.53	51.00	2877.53	
पूँजी	150.01	...	150.01	177.40	...	177.40	160.90	...	160.90	173.47	...	173.47	
जोड़	3006.19	101.27	3107.46	3000.00	48.61	3048.61	2254.00	48.60	2302.60	3000.00	51.00	3051.00	
1. सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	3451	33.68	22.35	56.03	39.98	28.91	68.89	34.00	28.91	62.91	43.67	31.30	74.97
<b>दूरसंचार और इलेक्ट्रॉनिकी उद्योग</b>													
2. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र	2852	...	...	...	90.48	...	90.48	90.48	...	90.48	90.48	...	90.48
	3451	564.54	...	564.54	463.82	...	463.82	463.82	...	463.82	469.52	...	469.52
	5475	132.68	...	132.68	124.70	...	124.70	124.70	...	124.70	119.00	...	119.00
	जोड़	697.22	...	697.22	679.00	...	679.00	679.00	...	679.00	679.00	...	679.00
3. प्रौद्योगिकी विकास परिषद परियोजनाएं (आईटीआरए सहित)	2852	77.64	...	77.64	72.00	...	72.00	57.60	...	57.60	72.00	...	72.00
4. शिक्षा अनुसंधान नेटवर्क (ईआरएनईटी)	2852	10.00	...	10.00	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
5. संघटक और सामग्री विकास कार्यक्रम	2852	24.96	0.60	25.56	24.00	0.60	24.60	22.10	0.60	22.70	24.00	0.60	24.60
6. सूक्ष्म इलेक्ट्रॉनिक और नैनो-प्रौद्योगिकी विकास कार्यक्रम एनएमसी	2852	62.71	...	62.71	95.00	...	95.00	93.10	...	93.10	95.00	...	95.00
7. उन्नत परिकलन विकास केंद्र (सी-डैक)	2852	158.66	3.00	161.66	182.40	3.00	185.40	146.40	3.00	149.40	182.40	3.00	185.40
8. अनुप्रयुक्त माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिकी इंजीनियरी तथा अनुसंधान संस्था (समीर)	2852	38.00	3.00	41.00	40.94	3.00	43.94	40.94	3.00	43.94	40.94	3.00	43.94
9. मानकीकरण परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन (एसटीक्यूसी)	2852	52.19	6.36	58.55	78.00	7.00	85.00	61.50	7.00	68.50	76.03	7.00	83.03
	4859	12.96	...	12.96	28.00	...	28.00	13.00	...	13.00	29.97	...	29.97
	जोड़	65.15	6.36	71.51	106.00	7.00	113.00	74.50	7.00	81.50	106.00	7.00	113.00
10. एकीकृत नगर क्षेत्र की स्थापना का सरलीकरण	2852	...	...	...	0.10	...	0.10	0.10	...	0.10	0.10	...	0.10
11. जनशक्ति विकास	2852	96.04	...	96.04	102.69	...	102.69	55.39	...	55.39	100.69	...	100.69
12. अभिकरण, संचार एवं युद्धनीतिक इलेक्ट्रॉनिकी	2852	22.58	...	22.58	23.00	...	23.00	23.00	...	23.00	23.00	...	23.00
13. स्वास्थ्य और दूरऔषध में इलेक्ट्रॉनिकी	2852	8.14	...	8.14	10.50	...	10.50	9.00	...	9.00	10.50	...	10.50
14. अन्य कार्यक्रम													
14.01 इलेक्ट्रॉनिकी प्रदर्शनी	2250	...	0.13	0.13	...	0.80	0.80	...	0.80	0.80	...	0.80	0.80

मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2010-2011			बजट 2011-2012			संशोधित 2011-2012			बजट 2012-2013			
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
14.02 विदेशी व्यापार	3453	...	63.64	63.64	...	3.10	3.10	...	3.10	3.10	...	3.10	3.10
14.03 अन्य स्कीमें	2852	...	0.49	0.49	...	0.50	0.50	...	0.49	0.49	...	0.50	0.50
<i>जोड़- अन्य कार्यक्रम</i>		...	<i>64.26</i>	<i>64.26</i>	...	<i>4.40</i>	<i>4.40</i>	...	<i>4.39</i>	<i>4.39</i>	...	<i>4.40</i>	<i>4.40</i>
15. पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के हित के लिए परियोजनाओं/योजनाओं के लिए एकमुश्त प्रावधान	2552	...	...	...	279.80	...	279.80	206.70	...	206.70	280.00	...	280.00
	4552	...	...	...	20.20	...	20.20	18.70	...	18.70	20.00	...	20.00
<i>जोड़</i>		...	...	...	<i>300.00</i>	...	<i>300.00</i>	<i>225.40</i>	...	<i>225.40</i>	<i>300.00</i>	...	<i>300.00</i>
16. इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस													
16.01 कार्यक्रम घटक	2852	264.15	...	264.15	279.31	...	279.31	261.91	...	261.91	767.00	...	767.00
16.02 ईएपी घटक	2852	...	...	...	700.00	...	700.00	50.00	...	50.00	100.00	...	100.00
<i>जोड़- इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस</i>		<i>264.15</i>	...	<i>264.15</i>	<i>979.31</i>	...	<i>979.31</i>	<i>311.91</i>	...	<i>311.91</i>	<i>867.00</i>	...	<i>867.00</i>
17. भारतीय भाषाओं हेतु प्रौद्योगिकी विकास	2852	33.47	...	33.47	32.00	...	32.00	32.00	...	32.00	32.00	...	32.00
18. साइबर सुरक्षा (सर्ट-इन, आईटी अधिनियम सहित)	2852	31.08	...	31.08	37.70	...	37.70	36.75	...	36.75	37.70	...	37.70
	4859	4.37	...	4.37	4.50	...	4.50	4.50	...	4.50	4.50	...	4.50
<i>जोड़</i>		<i>35.45</i>	...	<i>35.45</i>	<i>42.20</i>	...	<i>42.20</i>	<i>41.25</i>	...	<i>41.25</i>	<i>42.20</i>	...	<i>42.20</i>
19. भारतीय सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क और ईएचटीपी	2852	2.45	...	2.45	2.50	...	2.50	0.50	...	0.50	2.50	...	2.50
20. जनता के लिए सूचना प्रौद्योगिकी	2852	6.96	...	6.96	14.94	...	14.94	12.62	...	12.62	14.94	...	14.94
21. इलेक्ट्रॉनिक विभाग अधिकृत प्रमाणन कार्यक्रम (डीओईएसीसी)	2852	10.00	1.70	11.70	8.30	1.70	10.00	7.40	1.70	9.10	9.75	1.70	11.45
22. इलेक्ट्रॉनिकी/आईटी हार्डवेयर विनिर्माण का संवर्धन	2852	1.56	...	1.56	2.83	...	2.83	2.83	...	2.83	5.00	...	5.00
23. राष्ट्रीय ज्ञान तंत्र	2852	1362.00	...	1362.00	225.00	...	225.00	370.80	...	370.80	335.00	...	335.00
24. मीडिया लैब एशिया	2852	14.30	...	14.30	8.30	...	8.30	8.30	...	8.30	8.30	...	8.30
25. कंट्रोलर ऑफ सर्टीफिकिंग आथॉरिटीस (सीसीए)	2852	3.59	...	3.59	9.00	...	9.00	5.85	...	5.85	6.00	...	6.00
26. वास्तविक वसूलियां	2852	-22.52	...	-22.52	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>जोड़-दूरसंचार और इलेक्ट्रॉनिकी उद्योग</b>		<b>2972.51</b>	<b>78.92</b>	<b>3051.43</b>	<b>2960.02</b>	<b>19.70</b>	<b>2979.72</b>	<b>2220.00</b>	<b>19.69</b>	<b>2239.69</b>	<b>2956.33</b>	<b>19.70</b>	<b>2976.03</b>
<b>कुल जोड़</b>		<b>3006.19</b>	<b>101.27</b>	<b>3107.46</b>	<b>3000.00</b>	<b>48.61</b>	<b>3048.61</b>	<b>2254.00</b>	<b>48.60</b>	<b>2302.60</b>	<b>3000.00</b>	<b>51.00</b>	<b>3051.00</b>
विकास शीर्ष		बजट सहायता	आं. व. वा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. व. वा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. व. वा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. व. वा. सं.	जोड़
<b>ख. सार्वजनिक उद्यम में निवेश</b>													
1. डीओईएसीसी/समीर/सी-डैक-आदि	12859	...	366.17	366.17	...	619.07	619.07	...	619.07	619.07	...	2362.80	2362.80

	विकास शीर्ष	बजट सहायता	आं. व. वा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. व. वा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. व. वा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. व. वा. सं.	जोड़
<b>जोड़</b>		...	<b>366.17</b>	<b>366.17</b>	...	<b>619.07</b>	<b>619.07</b>	...	<b>619.07</b>	<b>619.07</b>	...	<b>2362.80</b>	<b>2362.80</b>
<b>ग. योजना परिव्यय</b>													
1. दूरसंचार और इलेक्ट्रॉनिक उद्योग	12859	2407.97	366.17	2774.14	2196.20	619.07	2815.27	1530.78	619.07	2149.85	2186.81	2362.80	4549.61
2. सचिवालय -आर्थिक सेवाएं	13451	598.22	...	598.22	503.80	...	503.80	497.82	...	497.82	513.19	...	513.19
3. पूर्वोत्तर क्षेत्र	22552	...	...	...	300.00	...	300.00	225.40	...	225.40	300.00	...	300.00
<b>जोड़</b>		<b>3006.19</b>	<b>366.17</b>	<b>3372.36</b>	<b>3000.00</b>	<b>619.07</b>	<b>3619.07</b>	<b>2254.00</b>	<b>619.07</b>	<b>2873.07</b>	<b>3000.00</b>	<b>2362.80</b>	<b>5362.80</b>

1. **सचिवालय आर्थिक सेवाएँ:** इसमें सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के सचिवालय व्यय के लिए प्रावधान किया जाता है।

2. **राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एनआईसी):** राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एनआईसी) केन्द्रीय वैज्ञानिक और तकनीकी संगठन है जो देश में केन्द्र सरकार के विभागों, राज्यों, संघशासित क्षेत्रों तथा जिला प्रशासन को नेटवर्क बैंकबोन ई-शासन सहयोग प्रदान कर रहा है। यह नेटवर्क मूलसंरचना सुविधा प्रदानकर्ता, नेटवर्क सेवा प्रदानकर्ता, अनुप्रयोग सेवा प्रदानकर्ता तथा सूचना सामग्री एएसपी है। इसके बजट प्रावधान में अनुसूचित जाति उप योजना (एससीएसपी) और जनजातीय उप योजना (टीएसपी) जो क्रमशः 22.62 और 67.86 करोड़ रूपए है, शामिल हैं।

3. **प्रौद्योगिकी विकास परिषद् कार्यक्रम (आईटीआरए सहित):** इस कार्यक्रम का उद्देश्य सूचना प्रौद्योगिकी में अनुसंधान और विकास को सहयोग देकर उभरती हुई प्रौद्योगिकियों का प्रसार और आत्मसात् करने की सुविधा प्रदान करना: निशुल्क और मुक्त स्रोत सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल को बढ़ावा देना: महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्रों के लिए अद्यतन तकनीकी जानकारी के किफायती स्वदेशी समाधानों का विकास करना एवं लागू करना: जैव सूचना विज्ञान में प्रौद्योगिकी विकास, आईपीआर संवर्धन और सूचना प्रौद्योगिकी अनुसंधान अकादमी की स्थापना करना है।

4. **शिक्षा और अनुसंधान नेटवर्क (अर्नेट):** भारत यह आईपीवी 6 पर आधारित सेवाएं प्रदान करने के लिए विभाग की पंजीकृत वैज्ञानिक संस्था है जिसके पांच संकेद्रित क्षेत्र हैं: राष्ट्रीय शैक्षणिक एवं अनुसंधान नेटवर्क: आंकड़ा संचार और इसके अनुप्रयोग के क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास: उच्च स्तरीय नेटवर्किंग के क्षेत्र में मानव संसाधन विकास: शैक्षणिक सूचना सामग्री तथा परिसरव्यापी उच्चगति का स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क।

5. **संघटक पुर्जा एवं सामग्री विकास कार्यक्रम:** इसका उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिकी सामग्री के लिए ठोस अनुसंधान एवं विकास/प्रौद्योगिकीय आधार तैयार करना तथा इलेक्ट्रॉनिकी उद्योग की भावी आवश्यकताओं को पूरा करना और अनुसंधान एवं विकास के समुचित संस्थानों और उद्योग में महत्वपूर्ण और प्राथमिक इलेक्ट्रॉनिकी सामग्री के लिए लक्ष्योन्मुखी अनुसंधान एवं विकास की परियोजनाओं को सहयोग देना।

6. **सूक्ष्म इलेक्ट्रॉनिकी और नैनो प्रौद्योगिकी विकास कार्यक्रम:** इस कार्यक्रम का उद्देश्य देश में सूक्ष्म इलेक्ट्रॉनिकी और नैनो प्रौद्योगिकी विकास के क्षेत्र में शैक्षणिक संस्थानों, अनुसंधान तथा विकास प्रयोगशालाओं तथा उद्योग में जनशक्ति, अनुसंधान और विकास तथा प्रौद्योगिकी के लिए ठोस आधार का निर्माण करना है तथा स्वदेशी इलेक्ट्रॉनिकी उद्योग के लिए अनुप्रयोग विशिष्ट एकीकृत परिपथों (एसिक) के इस्तेमाल को बढ़ावा और प्रसार करना है।

7. **उन्नत अभिकलन विकास केन्द्र (सी-डैक):** यह अभिकलन और संचार तथा इससे उत्पन्न अनुप्रयोगों के क्षेत्र में विभाग की एक पंजीकृत वैज्ञानिक संस्था है। सी-डैक ने क्रमिक रूप से विकास करते हुए आईसीटी और इलेक्ट्रॉनिकी के क्षेत्र में राष्ट्रीय महत्व के और बाजार से संबद्ध कई आला क्षेत्रों में नवोदभव, प्रौद्योगिकी विकास, कुशलता डिलीवरी योजना, सहयोग, भागीदारी और बाजार नवीनीकरण के लिए आर्थिक प्रणाली और संस्थागत ढांचा तैयार किया है।

8. **प्रायोगिक सूक्ष्म तरंग इलेक्ट्रॉनिकी इंजीनियरी और अनुसंधान संस्था (समीर):** यह विभाग की एक पंजीकृत वैज्ञानिक संस्था है जो सूक्ष्म तरंग, मिली मीटर तरंग और इलेक्ट्रो चुम्बकीयता के उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में कार्य कर रही है जो मुम्बई, चेन्नै तथा कोलकाता स्थित अपने तीन केन्द्रों सहित इन प्रौद्योगिकियों के लिए अनुप्रयोगों का विकास करने के विशिष्ट लक्ष्य से कार्य कर रही हैं।

9. **मानकीकरण परीक्षण तथा गुणवत्ता प्रमाणन (एसटीक्यूसी):** सूचना प्रौद्योगिकी विभाग का एक संबद्ध कार्यालय है, ने इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में देश में स्वयं को एक प्राथमिक गुणवत्ता आश्वासन संस्थान के रूप में स्थापित किया है जिसकी सेवाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी स्वीकार्यता मिली है। यह इलेक्ट्रॉनिकी संघटक-पुर्जों और उत्पादों की क्वालिटी और विश्वसनीयता में सुधार करने के लिए उद्योग को परीक्षण और अंशान्कन सेवाएं प्रदान करता है।

10. **एकीकृत टाउनशिप की स्थापना सुकर करना:** ऐसे एकीकृत आधुनिक टाउनशिपों का विकास करना एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें कई कार्यकलाप शामिल हैं जैसेकि उपयोगिता मानचित्रण और मूलसंरचनात्मक ढांचे। ये शहर अद्यतन तकनीकी जानकारी की शहरी मूलसंरचना द्वारा निरूपित किए जाते हैं तथा राज्य के समग्र आर्थिक विकास में योगदान देते हैं।

11. **जनशक्ति विकास (सूचना प्रौद्योगिकी में कुशलता विकास):** इस कार्यक्रम का उद्देश्य बढ़ते हुए सॉफ्टवेयर निर्यात उद्योग को सहायता करने और निर्यात लक्ष्य को हासिल करने के लिए आवश्यक विशेष जनशक्ति तैयार करना तथा उसे सुदृढ़ करना है। लक्ष्यों को हासिल करने के लिए कार्यान्वित किए जा रहे प्रमुख कार्यक्रम इस प्रकार हैं: i) सूचना सुरक्षा शिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम ii) डीओईएसीसी केन्द्र, श्रीनगर/जम्मू में आईटीईएस/वीपीओ खंड में रोजगार के लिए कुशलता अभिवृद्धि iii) वीएलएसआई डिजाइन तथा संबद्ध सॉफ्टवेयर में विशेष जनशक्ति विकास कार्यक्रम तथा iv) राष्ट्रीय कुशलता विकास नीति के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा की गई घोषणा के एक भाग के रूप में वर्ष 2022 तक 10 मिलियन व्यक्तियों को कुशलता प्रदान करना जिसमें वर्ष 2022 तक 500 मिलियन कुशलता का लक्ष्य रखा गया है। इसके बजट प्रावधान में अनुसूचित जाति उप योजना (एससीएसपी) और जनजातीय उप योजना (टीएसपी) जो क्रमशः 2.55 और 10.85 करोड़ रूपए है, शामिल हैं।

12. **समाहार, संचार एवं सामरिक इलेक्ट्रॉनिक:** इसका उद्देश्य समाहार संचार, ब्रांडबैण्ड प्रौद्योगिकियों तथा सामरिक इलेक्ट्रॉनिकी में अनुसंधान एवं विकास की सहायता प्रदान करना है। स्वदेशी प्रयासों का लक्ष्य उदीयमान, अगली पीढ़ी के तार सहित/तार रहित ब्रोड बैंड नेटवर्क तथा प्रसारण एवं सामरिक प्रौद्योगिकियों में विकास कार्य की सुविधा प्रदान करना है जिससे उनका नियोजन कम लागत पर किया जा सके ताकि न कि इसका आर्थिक लाभ प्राप्त हो, बल्कि समावेशन, सुरक्षा एवं संरक्षा प्रदान करने और जीवन स्तर में सुधार करने में इसका योगदान हो।

13. **स्वास्थ्य एवं दूरऔषधि में इलेक्ट्रॉनिकी:** विभाग चिकित्सा इलेक्ट्रॉनिकी उपकरणों के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी विकास के प्रयासों को बढ़ावा देने का कार्य सक्रिय रूप से कर रहा है। टेलिमेडिशन मुख्यतः रोगों के निदान एवं उपचार के लिए दूरसंचार के प्रयोग से संबंधित है और यह विशेष रूप से कम सेवा प्राप्त करने वाले ग्रामीण क्षेत्रों को दूर से स्वास्थ्य सेवाओं की प्रदायगी का एक उदीयमान माध्यम है।

14. **अन्य स्कीम:** ये गैर-योजना प्रावधान इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क (ईएचटीपी) और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क(एसटीपी) यूनिटों को विदेश व्यापार नीति के अनुसार केन्द्रीय बिक्री कर (सीएसटी) की प्रतिपूर्ति के साथ-साथ सम्मेलन गोष्ठी आयोजित करने और विज्ञापन तथा प्रचार-प्रसार आदि के लिए सहायता प्रदान करने हेतु किए गए हैं।

15. **पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम के लिए एक मुश्त प्रावधान:** सरकार के निर्देशों के अनुसार केन्द्रीय योजनागत आबंटन का 10 प्रतिशत पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम के लाभार्थ योजना के लिए निर्धारित किया जाना है।

16. **इलेक्ट्रॉनिक शासन:** व्यापक अर्थ में इलेक्ट्रॉनिक शासन का उद्देश्य सभी सरकारी सेवाएँ साधारण जनता को उन्हीं के इलाकों में उपलब्ध कराना है। राष्ट्रीय ई-शासन योजना में 31 मिशन मोड परियोजनाएँ (एमएमपी) तथा 8 समर्थक घटक शामिल हैं जिनका कार्यान्वयन केन्द्रीय, राज्य तथा स्थानीय सरकार की स्तरों पर किया जाना है। इसकी मुख्य विशेषताएँ इस प्रकार हैं: केन्द्रीय अवधारणा-विभागीय कार्यान्वयन; केन्द्रीय, राज्य तथा स्थानीय सरकार की स्तरों पर फैली 31 मिशन मोड परियोजनाएँ; 6 लाख ग्रामों के लिए एक लाख सामान्य सेवा केन्द्र; ब्लॉक स्तर तक तंतु प्रकाशिक सम्पर्क और दीर्घकालीन सम्पोषणीयता के लिए प्रभावी सार्वजनिक-निजी भागीदारी। इसके बजट प्रावधान में अनुसूचित जाति उप योजना (एससीएसपी) और जनजातीय उप योजना (टीएसपी) जो क्रमशः 21.75 और 92.42 करोड़ रूपए है, शामिल हैं।

17. **भारतीय भाषाओं के लिए प्रौद्योगिकी विकास (टीडीआईएल):** इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारतीय भाषाओं में सूचना प्रौद्योगिकी उपकरणों तथा सूचना सामग्री का विकास करना है जिससे भारत में कम्प्यूटर तथा अन्य सूचना प्रौद्योगिकी प्रणालियों का उपयोग अपनी भाषाओं में किया जा सके।

18. **साइबर सुरक्षा (सर्ट-इन, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम सहित):** सभी प्रकार के उत्पादों में विभिन्न कारणों से साइबर सुरक्षा को अपनाया जा रहा है। असुरक्षा की घटनाओं में वृद्धि होने के कारण सुरक्षित उत्पादों के विकास, कार्यनिष्पादन तथा लागत संबंधी दण्ड, उपभोक्ताओं की सहजता में सुधार, सुरक्षा प्रक्रियाओं को कार्यान्वित करने तथा निरन्तर रूप से उन्हें बनाए रखने और सुरक्षा में सुधार के मूल्यांकन के महत्व के कारण राष्ट्रीय सुरक्षा मूल्यांकन की आवश्यकता बढ़ गई है। भारतीय कम्प्यूटर आपात प्रतिक्रिया दल (सर्ट-इन) साइबर सुरक्षा संबंधी घटनाओं पर कार्रवाई करने और उनके दोहराव से बचने के उपाय करने के लिए कार्य कर रहा है और आवश्यकतानुसार प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहा है। प्रमाणन प्राधिकारियों को सीसीए द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के अंतर्गत अंकीय हस्ताक्षर प्रमाण पत्र जारी करने के लिए लाइसेंस प्रदान किए जाते हैं।

19. **भारतीय सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क (एसटीपीआई) तथा ईएचटीपी:** सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क (एसटीपी) योजना संचार सम्पर्कों का प्रयोग करके या वास्तविक माध्यम से कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर के विकास और निर्यात के लिए एक शत-प्रतिशत निर्यातमुखी योजना है जिसमें व्यावसायिक सेवाओं का निर्यात भी शामिल है। एसटीपी योजना सॉफ्टवेयर उद्योग के विकास से तेजी लाने में बहुत ही सफल रही है इस समय एसटीपीआई के 52 केन्द्र पूरे देश में स्थित हैं जिनमें से 45 केन्द्र स्तर 2 तथा स्तर 3 के शहरों स्थित हैं।

20. **जन सामान्य के लिए सूचना प्रौद्योगिकी:** सूचना प्रौद्योगिकी तथा इलेक्ट्रॉनिकी क्षेत्र महिलाओं का एक सबसे बड़ा नियोक्ता है और इस कारण यह लिंग भेद को कम करते हुए महिलाओं के अधिकारिता में बढ़ोत्तरी करने में काफी सफल हो सकता है। विभाग अपने संसाधनों को मूलसंरचना विकास की विभिन्न परियोजनाओं/कार्यक्रमों या विशिष्ट प्रौद्योगिकी के लिए प्रयोगिक परियोजनाओं अथवा कमजोर वर्गों (अ.जा/अ.ज.जा) के जनशक्ति विकास के लिए आबंटित करता है। इसके बजट प्रावधान में अनुसूचित जाति उप योजना (एससीएसपी) और जनजातीय उप योजना (टीएसपी) जो क्रमशः 4.58 और 6.37 करोड़ रूपए है, शामिल हैं।

21. **एनआईईएलआईटी (पूर्ववर्ती डीओईएसीसी):** यह विभाग की एक पंजीकृत वैज्ञानिक संस्था है जो विशेष रूप से अनौपचारिक क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी शिक्षण एवं प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित करने के लिए संस्थानों/संगठनों को प्रत्यायित करती है। यह अद्यतन तकनीकी जानकारी के क्षेत्र में अच्छी क्वालिटी के उद्योग उन्मुखी शिक्षण एवं प्रशिक्षण का विकास भी करती है, आईसीटी के क्षेत्र में परीक्षा एवं प्रमाणन के लिए देश का अग्रणी संस्थान बनाने के लिए मानक निर्धारित करती है। इसके बजट प्रावधान में अनुसूचित जाति उप योजना (एससीएसपी) और जनजातीय उप योजना (टीएसपी) जिसमें प्रत्येक के लिए 1 करोड़ शामिल है।

22. **इलेक्ट्रॉनिकी/आईटी हार्डवेयर विनिर्माण संवर्धन:** सरकार ने इलेक्ट्रॉनिकी तथा आईटी हार्डवेयर विनिर्माण क्षेत्र के विकास को एक महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में चुना है जिसके लिए राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धा परिपद का गठन किया गया है।

23. **राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क:** यह योजना पूरे देश के ज्ञान संस्थानों को आपस में बहु मीगाबिट बैंडविड्थ से जोड़ने के लिए राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क स्थापित करने के प्रयोजन से शुरू की गई है। इसके बजट प्रावधान में अनुसूचित जाति उप योजना (एससीएसपी) और जनजातीय उप योजना (टीएसपी) जो क्रमशः 7.50 और 22.50 करोड़ रूपए है, शामिल हैं।

24. **मीडिया लैब एशिया:** मीडिया लैब एशिया एक धारा 25 कंपनी है जिसका उद्देश्य अति उन्नत सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों के लाभ को सामान्य जनता तथा जरूरत मंद लोगों तक पहुंचाना है।

25. **प्रमाणन प्राधिकारी नियंत्रक (सीसीए):** प्रमाणन प्राधिकारी नियंत्रक (सीसीए) वर्ष 2008 में संशोधित सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2005 में उल्लिखित विभिन्न मानदण्डों तथा समय-समय पर निर्धारित नियमों एवं विनियमों के अनुसार जांच करने के पश्चात व्यक्तियों/कंपनियों को प्रमाणन प्राधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए लाइसेंस जारी करता है। लाइसेंसशुदा प्रमाणन प्राधिकारियों में सरकारी संगठन तथा सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयां शामिल हैं।

टिप्पणी:- सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी के नए नाम से जाना जाएगा।